संख्या- 198/2026/628के-2/22-3-2025-17(1311)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बाबू पुत्र श्री घस्सू, निवासी जनपद-सीतापुर की दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-20684/प्रोबे0-5/दया0/के0का0बरेली-3552, दिनांक 20.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बाबू पुत्र श्री घस्सू, ग्राम-किशनकोट, थाना-रामकोट, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 15-05-2001 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल से गोली मारकर बाबू नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-545/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-5, सीतापुर के आदेश दिनांक 05.03.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 61 वर्ष 05 माह एवं बन्दी द्वारा दिनांक 09.05.2022 तक 13 वर्ष 05 माह 22 दिन अपरिहार 17 वर्ष 06 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी बाबू पुत्र श्री घस्सू की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 15.05.2001 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल से गोली मारकर बाबू नामक व्यक्ति की हत्या कारित किये जाने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बाबू (बन्दी संख्या-47055) पुत्र श्री घस्सू, जनपद-सीतापुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।